

.....19-3-25 को पेश हों।

27-2-25 प्राची वकील द्वारा अर्चना-पत्र वास्ते धारा 151 C.P.C.
के तहत राजस्व अर्चना-पत्र को विद्वा करने तथा नये
तथ्यों के साथ पुनः राजस्व अर्चना-पत्र प्रस्तुत करने
की अनुमति प्रदान करने बाबत पेश करने पर फावली
तलब की गयी थी कि मूल वाद को विद्वा करने की
अनुमति दी जा चुकी है अतः उक्त अर्चना-पत्र को
जारी विद्वा ल खास किया जाता है फावली फैसल
कुमार हेकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ़ (अजमेर)